इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स का मासिक न्यूजलेटर

(आईएसओ 9001-2015 द्वारा प्रमाणित)

IIBF VISION

खंड संख्या 16 | अंक संख्या 3 | अक्तूबर, 2023 | पृष्ठों की संख्या - 10

विजन

बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में सक्षम व्यावसायिक शिक्षित एवं विकसित करना।

मिशन

प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना।

इस अंक में

मुख्य घटनाएँ.....2
बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ.....3
बैंकिंग जगत की घटनाएँ.....4
विनियामक के कथन 4
आर्थिक संवेष्टन 6
विदेशी मुद्रा.....6
शब्दावली.....7
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी.....7
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां 7
संस्थान समाचार 8
नयी पहलकदमी 9
बाजार की खबरें 9

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना/समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों, मीडिया में प्रकाशित हो चुकी/चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की/किए जा रही/रहे हैं। उक्त सूचना/समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित /उल्लिखित घटनाएँ संबन्धित स्रोत द्वारा यथा-अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स समाचार मदों/घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी भी प्रकार से न तो उत्तरदाई है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

मुख्य घटनाएँ

मौद्रिक नीति की मुख्य बातें

भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने 4 से 6 अक्तूबर, 2023 तक अपनी बैठक आयोजित की। उक्त बैठक से संबन्धित मुख्य बातें निम्नानुसार हैं :

- पुनर्खरीद (repo) दर और स्थायी जमा सुविधा (SDF) दर क्रमश: 6.5% और 6.25% पर अपरिवर्तित।
- सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) और बैंक दर 6.75% तथा आरक्षित नकदी निधि अनुपात (CRR) को 4.5% पर बनाए रखा गया।
- ऐसे शहरी सहकारी बैंकों (UCBs), जिन्होंने 31 मार्च, 2023 के दिन समग्र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र लक्ष्य एवं उप-लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, के लिए स्वर्ण ऋण सीमा को 2 लाख रुपए से बढ़ा कर 4 लाख रुपए तक दोगुनी करना।
- प्रधान मंत्री विश्वकर्मा योजना को भुगतान मूलभूत सुविधा विकास निधि (PIDF) में शामिल कर लिया गया है, इसका कार्यकाल (tenure) 2 वर्ष तक बढ़ा दिया गया है।
- विविध विनियमित संस्थाओं (REs) के लिए स्व-विनियामक संगठनों (SROs) को मान्यता प्रदान करने हेतु एक सर्वव्यापी (omnibus) ढांचा जारी करना।
- सीधे जारीकर्ता बैंक के स्तर पर कार्ड आन फाइल (CoF) टोकन सृजन सुविधाओं की शुरूआत करना।
- मध्यम परत वाली तथा आधार (base) परत वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) को उनके एक्सपोजरों को पात्र ऋण जोखिम अंतरण लिखतों के साथ प्रतितुलित (offset) करने की अनुमति।

कारीगरों, दस्तकारों को सशक्त करने हेतु प्रधान मंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरूआत

सरकार ने 18 प्रकार के व्यवसायों में संलग्न कारीगरों और दस्तकारों को 3 लाख रुपए तक के संपार्श्विक रहित ऋण प्रदान करते हुये उन्हें सशक्त किए जाने के लिए हाल ही में प्रधान मंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरूआत की है। विश्वकर्मा योजना की मूल निधि 13,000 करोड़ रुपए है जिसे अन्य बातों के साथ ही कारीगरों और दस्तकारों की सहायता करने हेतु कौशल उन्नयन, डिजिटल लेनदेनों तथा विपणन सहायता के जरिये वित्त वर्ष 2023-24 से लेकर वित्त वर्ष 2027-28 तक अभिनियोजित किया जाएगा।

वित्त मंत्रालय ने फरिश्ता/ऐन्जेल कर से संबंधित नियमों को अद्यतन किया, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, आय कर नियमों के बीच संतुलन कायम किया

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (FEMA) से संबन्धित मूल्यांकन एवं आय कर पर आधारित नियमों के बीच संतुलन कायम करने के एक अभियान में वित्त मंत्रालय ने फरिश्ता/ ऐन्जेल कर से संबन्धित कुछेक नियमों को अद्यतन कर दिया है। अद्यतन किए गए इन नियमों के अनुसार मंत्रालय ने स्टार्ट अपों सहित भारत की असूचीबद्ध कंपनियों में अनिवासी निवेशकों द्वारा धारित अनुद्धृत (unquoted) इक्विटी शेयरों के बारे में पाँच नयी मूल्यांकन पद्धतियाँ निर्धारित की हैं। ये पद्धतियाँ हैं : तुलनीय कंपनी बहु-गुणित पद्धति, (Comparable Company Multiple Method), संभाव्यता-भारित प्रत्याशित प्रतिलाभ पद्धति (Probability Weighted Expected Return Method) वैकल्पिक मूल्य-निर्धारण पद्धति (Option Pricing Method), माइलस्टोन विश्लेषण पद्धति (Milestone Analysis Method) और प्रतिस्थापन लागत पद्धति (Replacement Cost Method)।

साख सूचना कंपनियों द्वारा साख/ऋण संस्थाओं के लिए डेटा गुणवत्ता सूचकांक (DQI)

साख/ऋण संस्थाओं (CIs) द्वारा साख सूचना कंपनियों (CICs) को प्रस्तुत डेटा की गुणवत्ता निर्धारित करने तथा उसे बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय रिज़र्व बैंक ने साख सूचना कंपनियों से समस्त वाणिज्यिक एवं सूक्ष्म वित्त खंडों की साख संस्थाओं के लिए एक सामान्य डेटा गुणवत्ता सूचकांक निर्धारित करने के लिए कहा है। शीर्ष बैंक ने साख संस्थाओं को यह सलाह भी दी है कि वे डेटा गुणवत्ता

सूचकांक की अर्ध वार्षिक समीक्षा करें। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक साख संस्था को प्रत्येक अर्ध वार्षिक अवधि की समाप्ति से पहले दो माह के भीतर अपने शीर्ष प्रबंधन के पुनरीक्षण के लिए एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी होगी।

स्थायी सलाहकार समिति द्वारा 2047 तक एक विकसित अर्थव्यवस्था के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के तौर-तरीकों पर विचार

2047 तक एक विकसित अर्थव्यवस्था की हैसियत प्राप्त करने में भारत की सहायता करने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका की पृष्ठभूमि में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण प्रवाह की समीक्षा करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री स्वामीनाथन जे॰ की अध्यक्षता वाली स्थायी सलाहकार समिति (SAC) की हाल ही में एक बैठक आयोजित हुई। उन्होंने सभी हेतु उनके सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया, स्थायी सलाहकार समति ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम क्षेत्र को ऋण प्रवाह की स्थिति की समीक्षा की तथा दबावग्रस्त सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को पुनर्जीवित करने एवं उनका पुनर्वास करने, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से संबन्धित ऋण अंतराल का निर्धारण करने एवं उसे मिटाने (bridging), महिला उद्यमियों को ऋण प्रवाह बढ़ाने, उन्नत ऋण सहलग्नता के लिए डिजिटल समाधानों का पता लगाने और व्यापारिक प्राप्य राशि भुनाई प्रणाली (TReDS) के अंगीकरण मे तेजी लाये जाने जैसे विविध मुद्दों का निराकरण किया।

भारतीय रिज़र्व बैंक वृहत्तर पारदर्शिता की दिशा में अग्रसर; ऋणदाताओं से उन देनदारों के नाम प्रकट करने के लिए कहा जिनकी आस्तियां सरफेयसी अधिनियम के तहत कब्जे में हैं

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं के लिए उनकी वेबसाइट पर उन उधारकर्ताओं से संबन्धित सूचना प्रकाशित करना अनिवार्य कर दिया है जिनकी प्रतिभूत आस्तियां उनके द्वारा सरफेयसी अधिनियम, 2002 के अधीन उनके कब्जे में रखी गई हैं। विनियमित संस्थाओं को उनकी पहली सूची प्रकाशित करने हेतु आगामी छः माह का समय दिया गया है। उसके बाद उक्त सूची को प्रत्येक माह अद्यतन किया जाएगा।

बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ

विनियमित संस्थाओं को भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेश: मूल दस्तावेज़ निर्मोचित करें, ऋण खाते के पूर्ण निपटान के 30 दिनों के भीतर ऋणभार पूर्ति फार्म दाखिल करें

विनियमित संस्थाओं के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के उत्तरदाई उधारदाई आचरण के एक अंग के रूप में शीर्ष बैंक ने यह अनिवार्य कर दिया है कि सभी बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (ARCs) के लिए उधारकर्ता द्वारा ऋण खाते की पूर्णतः चुकौती/निपटान किए जाने के बाद अधिकतम 30 दिनों के भीतर समस्त चल/अचल सम्पत्ति के सभी मूल प्रलेखों को निरमोचित करना तथा किसी भी रजिस्ट्री के पास पंजीकृत प्रभारों को हटा लिया जाना आवश्यक होगा। विनियमित संस्था द्वारा प्रलेखों को निरमोचित न किए जा सकने और/अथवा संबन्धित रजिस्ट्री के पास 30 दिनों के भीतर ऋणभार पूर्ति (charge satisfaction) फार्म दाखिल न किए जाने की स्थिति में उनके लिए उधारकर्ता को विहित रूप से उक्त विलंब का कारण बताना आवश्यक होगा। उक्त विलंब विनियमित संस्था की ओर से किए जाने की स्थिति में उसके लिए उधारकर्ता को उक्त विलंब के प्रत्येक दिन के लिए 5,000 रुपए की दर से क्षतिपूर्ति करना आवश्यक होगा।

वाणिज्यिक बैंकों के निवेश संविभाग को भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से संशोधित दिशानिर्देश प्राप्त

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंकों के निवेश संविभाग का वर्गीकरण, मूल्यांकन एवं परिचालन) निदेश, 2023 नामक एक संशोधित ढांचा तैयार किया है, जो 1 अप्रैल, 2024 से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको (RRBs) को छोडकर सभी वाणिज्यिक बैंकों के लिए लागू होगा। संशोधित मानदंडों के अनुसार आगामी वित्त वर्ष से बैंकों को निवेशों को तीन श्रेणियों में श्रेणीकृत करना होगा, यथा – बिक्री के लिए उपलब्ध (AFS), परिपक्वता तक धारित (HTM) तथा लाभ एवं हानि के जरिये उचित मूल्य (FVTPL) कही जाने वाली एक नयी श्रेणी। क्रय-विक्रय (trading) के लिए धारित (HFT) वाली विद्यमान श्रेणी को लाभ एवं हानि के जरिये उचित मूल्य के तहत उप-श्रेणीकृत किया जाएगा।

प्रणाली को अचानक आघात से बचाने के लिए वृद्धिशील आरक्षित नकदी निधि अनुपात चरणों में समाप्त किया जाएगा

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सरकार को किए गए अधिशेष अंतरण और सरकारी खर्चों तथा पूंजी अंतर्वाह में वृद्धि के साथ ही 2,000 रुपए के बैंक नोटों को वापस करने के देशव्यापी अभियान के अनुसरण में सितंबर, 2023 के अंत में बैंकिंग प्रणाली में अधिशेष चलनिधि की बाढ़ आ गई। इस अधिशेष को अवशोषित करने के उद्देश्य से भारतीय रिज़र्व बैंक ने वृद्धिशील आरक्षित नकदी निधि अनुपात (I-CRR) कार्यान्वित किया, जो प्रणाली से 1 लाख करोड़ रुपए से कुछ अधिक रकम साइफन करने में सफल हुआ। वर्तमान एवं उभरती चलनिधि स्थितियों का मूल्यांकन करने के बाद शीर्ष बैंक ने वृद्धिशील आरक्षित नकदी निधि अनुपात के उपाय को चरणबद्ध रीति से इस प्रकार समाप्त करने का निर्णय लिया, ताकि प्रणाली की चलनिधि को अचानक आघातों का सामना न करना पड़े और मुद्रा बाजार व्यवस्थित रीति से कार्य करते रहे।

बैंकिंग जगत की घटनाएँ

अब एकीकृत भुगतान अंतरापृष्ठ लेनदेनो को पूर्व-स्वीकृत ऋण व्यवस्थाओं के माध्यम से करें

भारतीय रिज़र्व बैंक लेनदेनों के लिए बैंकों द्वारा जारी पूर्व-स्वीकृत ऋण व्यवस्थाओं को शामिल करके एकीकृत भुगतान अंतरापृष्ठ (UPI) प्रणाली के प्रसार क्षेत्र को विस्तारित कर रहा है। अब, एकीकृत भुगतान अंतरापृष्ठ भुगतान व्यक्तियों को उनकी (व्यक्तियों की) पूर्व सहमति से किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा जारी पूर्व-स्वीकृत ऋण व्यवस्था के माध्यम से किए जा सकते हैं। बैंक ऋण सीमा, ऋण की अवधि, ब्याज दर आदि के संबंध में अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों के अनुसार शर्तें एवं निबंधन निर्धारित कर सकते हैं। यह व्यवस्था इस प्रकार के प्रस्तावों/उपहारों (offerings) की लागत में कमी ला सकती है तथा यह भारतीय बाज़ारों के लिए अनूठे उत्पाद विकसित करने में सहायक हो सकती है।

अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं को उनकी कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से नए मानदंड

पाँच प्रमुख अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं (AIFIs) के परिचालनों को अभिशासित करने के उद्देश्य से भारतीय रिज़र्व बैंक ने अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (बासेल III पूंजीगत ढ़ाचा, एक्सपोजर मानदंड, महत्वपूर्ण निवेश, निवेश संविभाग के मानदंड तथा उनके वर्गीकरण, मूल्यांकन एवं परिचालन के संबंध में) निदेश, 2023 के तहत विवेकसम्मत विनियमन जारी किए जाने की घोषणा की है। उक्त नए निदेश 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होंगे तथा इनके विस्तार क्षेत्र में भारतीय निर्यात –आयात बैंक (एक्जिम बैंक) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (NABARD), राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक (NaBFID) राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) तथा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) का समावेश होगा। इन निदेशों को यह सुनिश्चित करने हेतु तैयार किया गया है कि अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं बासेल III के तहत पूंजीगत ढ़ाचे, एक्सपोजर मानदंडों, महत्वपूर्ण निवेशों, वर्गीकरण, मूल्यांकन, निवेश संविभाग के मानदंडों के परिचालन एवं संसाधन संग्रहण से संबन्धित मानदंडों के अनुरूप इन विवेकसंगत विनियमनों का पालन करें।

विनियामक के कथन

भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर ने फिंटेक पारिस्थितिकी तंत्र से ग्राहक केंद्रिकता, स्व-विनियमन, उत्तरदाई आचरण पर ध्यान देने का आग्रह किया

भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास ने भारत के पारिस्थितिकी तंत्र (ecosystem) के लिए ग्राहक केंद्रिकता, अभिशासन एवं स्व-विनियमन पर ध्यान केन्द्रित किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने यह मत व्यक्त किया कि जहां अत्यंत गतिशील जगत में किसी व्यवसाय के राजस्व और मूल्यांकन के लक्ष्यों का पीछा करते दिखना आसान है, वही प्रत्येक उद्यम को यह याद रखना चाहिए कि उनकी सफलता की कुंजी उनके ग्राहकों के विश्वास और उनकी संतुष्टि में निहित है। इसलिए, उनके लिए यह आवश्यक है कि वे अपने ग्राहकों की जरूरतों पर ध्यान दें, उन्हें ग्राहकों के हित संरक्षित करने हेतु कार्य करना चाहिए तथा निरंतर आधार पर उनका विश्वास अर्जित करने और उसे बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। एक अलग प्रसंग में उन्होंने साइबर-जोखिम तथा डेटा की सुरक्षा से जुड़े उन मुद्दों का भी जिक्र किया जो डिजिटल नवोन्मेषों के साथ सामने आए हैं। श्री दास ने संस्थाओं/कंपनियों से यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया कि नवोन्मेषों के साथ हमेशा विवेकसंगत सुरक्षोपाय एवं उत्तरदाई आचरण की भी व्यवस्था हो।

भारतीय रिज़र्व बैंक मुद्रास्फीति को घटाकर 4% पर लाने के लिए प्रतिबद्ध: भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर

डेल्ही स्कूल आफ इकानामिक्स (DSE) में ''आर्ट आफ मॉनिटरी पॉलिसी मेकिंग: दि इंडियन कंटेक्स्ट'' (Art of monetary policy making: The Indian Context) पर व्याख्यान देते हुये भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास ने यह दावा किया कि आवर्ती खाद्य मूल्य से संबंधित आघातों के बावजूद शीर्ष बैंक 4% के मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूर्ववत प्रतिबद्ध है। उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि भारतीय रिज़र्व बैंक इन आघातों के गौण प्रभावों के समक्ष सतर्क है तथा वह समयोचित कार्रवाइयों के माध्यम से मूल्य स्थिरता बनाए रखने की दिशा में कार्यरत है। अपने व्याख्यान में उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि सर्वव्यापी रूस-यूक्रेन युद्ध तथा उच्च वैश्विक मुद्रास्फीति हमारी मौद्रिक नीति के संचालन की दृष्टि से उल्लेखनीय चुनौतियाँ पैदा कर रही है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर ने साइबर अपराध का मुक़ाबला किए जाने, ग्राहक केन्द्रित दृष्टिकोण अपनाए जाने की आवश्यकता को रेखांकित किया

भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री स्वामीनाथन जे॰ ने बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति, शीर्ष बैंकों के ग्राहक सेवा कार्यक्षेत्रों (verticals) के प्रभारी प्रबंध निदेशकों, कार्यपालक निदेशकों तथा प्रधान नोडल अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की। इस बैठक में उन्होंने साइबर अपराध का मुक़ाबला किए जाने तथा अग्रिम पंक्ति के स्टाफ को बाइंकिन प्रणाली में ग्राहकों के विश्वास को बनाए रखे जाने के महत्व पर बल दिया। वे यह चाहते हैं कि बैंक ग्राहक केन्द्रित दृष्टिकोण अपनाएं तथा शिकायतों के मूल कारण को समाप्त करने की दिशा में कार्य करें। उन्होंने मुद्दों का समाधान उनके सामने आने के पहले बिन्दु पर ही किए जाने, शिकायतों पर ज़िम्मेदारी के साथ कार्रवाई किए जाने, अग्रिम पंक्ति के स्टाफ को प्राधिकार, साधन एवं प्रशिक्षण दिये जाने और साइबर अपराध का मुक़ाबला किए जाने के महत्व पर व्यापक रूप से प्रकाश डाला।

भारत का वित्तीय क्षेत्र शब्दाडंबर के स्थान पर बुद्धिमत्ता की दिशा में स्थानांतरित हो रहा है : भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर

नेशनल बैंक ऑफ कंबोडिया द्वारा आयोजित 16 वीं दक्षिण-पूर्व एशियाई केंद्रीय बैंकों (SEACEN) अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक (BIS) की संगोष्ठी (seminar) में बोलते हुये भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डा॰ माइकल पात्रा ने कहा कि भारत का वित्तीय क्षेत्र प्रौद्योगिकी से लाभ उठा कर रूपांतरकारी परिवर्तन से गुजर रहा है। जाम (JAM)- जन धन (बुनियादी सीमित सुविधा खाते), आधार (सर्वव्यापी विशिष्ट पहचान) और मोबाइल कनेकशन की त्रयी (trinity) इसके पहले अपवंचित लोगों को बैंकिंग की सीमा में लाने में प्रचुर रूप से उपयोगी सिद्ध हुई है तथा उसने हिताधिकारियों को सरकार से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्राप्त करने में समर्थ बनाया है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (NBFCs) बैंकों के महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में उभरी हैं। शब्दाडंबर (exuberance) बुद्धिमत्ता (prudence) द्वारा प्रतिस्थापित हो रहा है। सुरक्षित भंडारों (buffers) को समय से पहले कार्यान्वित किया जा रहा है, जैसा कि विदेशी मुद्रा के प्रारक्षित भंडार वाले उदाहरण में देखा जा रहा है, जो कि वास्तविक रूप से वैश्विक वित्तीय कवच (shield) के अभाव में हमारा सुरक्षा पाश (safety net) बन गया है।

व्यवस्थित ऋण वृद्धि, जोखिम प्रबंधन भारत की वृद्धि गाथा के लिए अत्यावश्यक: भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर

बैंकिंग विनियमन, मध्यवर्ती (intermediary) की सुदृढ़ता और प्रणालीगत स्थिरता पर भारतीय प्रबंधन संस्थान कोझिकोड की 1ली वार्षिक संगोष्ठी में बोलते हुये भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर श्री एम॰ राजेश्वर राव ने कहा है कि वैश्विक विक्षोभ (turmoil) तथा वृद्धि के समक्ष उपस्थित होने वाले मानसून जोखिमों के बावजूद सुदृढ़ वित्तीय विनियमनों के कारण भारत एक सुसंहत वैश्विक शक्ति बनने की राह पर अग्रसर है। वित्तीय संस्थाओं को संस्थाओं की आघात सहनीयता (resilience) को बनाए रखने के उद्देश्य से ध्यान संकेन्द्रण के एक मुख्य तत्व के रूप में ऋण जोखिम के साथ आवश्यक रूप से अपनी रणनीतियाँ तैयार करनी चाहिए। श्री राव ने जोखिम प्रबंधन के प्रति भारतीय रिजर्व बैंक के दृष्टिकोण का उल्लेख उस ''5 एम'' ढांचे के रूप में किया जो पाँच तत्वों यथा- मापन (measuring), निगरानी (monitoring), प्रबंधन (managing), न्यूनीकरण (mitigating) और स्थानांतरण (migrating) पर ध्यान केन्द्रित रखता है।

फिंटेक प्रतिस्पर्धियों और सहयोगियों दोनों ही रूपों में कार्य कर सकते हैं: भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर

वैश्विक फिंटेक उत्सव में बोलते हुये भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर श्री टी॰ रबीशंकर ने कहा है कि पारंपरिक बैंक/गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियाँ तथा फिंटेक कम्पनियाँ दोहरे स्वराघात (dual toned) वाले संबंध अपना सकते हैं। पारंपरिक संस्थाएं अपने सुदृढ़

तुलनपत्रों, पूंजीगत आधार एवं जोखिम प्रबंधन कार्यों के साथ शक्ति एवं स्थिरता दर्शा सकते हैं। फिंटेक ग्राहक अनुभव के संबंध में योगदान कर सकते हैं तथा अपनी चपलता एवं नवोन्मेषी सक्षमताओं के साथ पहुँच/अभिगम को विस्तारित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करने के लिए इन कंपनियों के पास उत्तरदाई प्रथाएँ मौजूद हैं तथा ये नैतिक मानकों को अनुरक्षित रखती हैं, उन्होंने स्व-विनियामक संगठनो के महत्व पर बल दिया।

आर्थिक संवेष्टन

अगस्त, 2023 के लिए आर्थिक कार्य विभाग द्वारा जारी मासिक आर्थिक समीक्षा की मुख्य बातें

- वित्त वर्ष 24 की 1ली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि में निवल निर्यातों का अंशदान बढ़ गया है, क्योंकि सेवा निर्यात में अच्छा कार्य-निष्पादन हुआ है।
- राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा जारी राष्ट्रीय आय के अनुमान वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वित्त वर्ष 24 की 1ली तिमाही में 7.8% की गति से बढ़ते दर्शाये गए हैं।
- वित्त वर्ष 24 की 1ली तिमाही में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) 4.5 प्रतिशत बढ़ा।
- मुख्य मुद्रास्फीति और खाद्य मुद्रास्फीति के जुलाई वाले आंकड़ों में गिरावट के फलस्वरूप से अगस्त में खुदरा मुद्रास्फीति में कमी आई तथा उपभोक्ता खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति अगस्त में घटकर 9.9 प्रतिशत रह गई।
- मार्च, 2023 में घटी अनर्जक आस्तियों, जोखिम-भारित आस्तियों की तुलना में बढ़ते पूंजी अनुपात तथा इक्विटी पर बढ़ते प्रतिलाभ के माध्यम से विभिन्न प्रकार के संकेतकों से बैंकिंग क्षेत्र की आघात-सहनीयता (resilience) में वृद्धि का पता चलता है।
- मार्च, 2023 में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) से संबन्धित आंकड़ों से उनकी लाभप्रदता एवं जोखिम उठाने के व्यवहार में सुधार का संकेत मिला।
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जुलाई, 2023 में लगाए गए अनुमानों के अनुसार अप्रैल, 2022 से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) बैंकों के खड्येटर ऋण में निरंतर एवं व्यापक आधार पर वृद्धि परिलक्षित होती है।
- उच्चतर ब्याज दरों के वातावरण में वैयक्तिक ऋण की वृद्धि प्रभावशाली बनी हुई है, जो सुदिढ़ उपभोग से प्रेरित होकर वित्त वर्ष 24 की 1ली तिमाही में 20.9 प्रतिशत की दर से बढ़ती दिखाई देती है।

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियाँ		
मद	22 सितम्बर, 2023 के दिन करोड रुपए	22 सितम्बर, 2023 के दिन मिलियन अमरीकी डालर
1. कुल प्रारक्षित निधियाँ	4898336	590702
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	4339928	523363
1.2 सोना	367410	44307
1.3 विशेष आहरण अधिकार	149366	18012
1.4 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधियाँ	41633	5019

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक

अक्तूबर, 2023 माह के लिए लागू होने वाली विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों के लिए वैकल्पिक संदर्भ दरों (ARRs) की आधार दरें

मुद्रा	दरें
अमरीकी डालर	5.32
जीबीपी	5.186
यूरो	3.905
जापानी येन	-0.064
कनाडाई डालर	5.0200
आस्ट्रेलियाई डालर	4.10
स्विस फ्रैंक	1.701741

मुद्रा	दरें
न्यूजीलैंड डालर	5.5
स्वीडिस क्रोन	3.908
सिंगापुर डालर	3.8579
हांगकांग डालर	5.65942
म्यांमार रुपया	3.00
डैनिश क्रोन	3.5230

स्रोत : www.fbil.org.in

शब्दावली

ऐंजल/फरिश्ता कर

ऐन्जेल/फरिश्ता कर एक ऐसा कर है जिसे असूचीबद्ध कंपनियों द्वारा शेयर जारी करने के माध्यम से जुटाई गई पूंजी पर उस स्थिति में वसूल किया जाता है जब जारी किए गए शेयरों का शेयर मूल्य उक्त कंपनी के उचित बाजार मूल्य से अधिक दिखाई दे। इसे 2012 में सीमित धारिता वाली (closely held) कंपनियों में निवेशों के माध्यम से बेहिसाबी धन (unaccounted money) के सृजन एवं उपयोग को हतोत्साहित करने हेतु लागू किया गया था।

वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी

बट्टागत नकद प्रवाह

बट्टागत नकद प्रवाह (DCF) एक ऐसी मूल्यांकन पद्धति से संबन्धित होता है जिसमें किसी निवेश के मूल्य का उसके प्रत्याशित भावी नकद प्रवाहों का उपयोग करते हुये अनुमान लगाया जाता है। बट्टागत नकद प्रवाह का विश्लेषण किसी निवेश के वर्तमान मूल्य का उसके भावी नकद प्रवाहों के आधार पर निर्धारण करने में सहायक होता है। बट्टागत नकद प्रवाह के निवेश की वर्तमान लागत से अधिक होने पर उक्त अवसर की परिणति धनात्मक प्रतिलाभ में हो सकती है।

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

अक्तूबर, 2023 माह के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

कार्यक्रम	तिथियाँ	स्थान
प्रमाणित ऋण व्यावसायिकों के लिए परीक्षोपरांत प्रशिक्षण	9 से 11 अक्तूबर, 2023	प्रौद्योगिकी पर आधारित
निवारक सतर्कता एवं धोखाधड़ी प्रबंधन	10 से 12 अक्तूबर, 2023	
ऋण मूल्यांकन, निगरानी एवं वसूली पर कार्यक्रम	11 से 13 अक्तूबर, 2023	
शाखा प्रबन्धकों के लिए नेतृत्व एवं गैर-तकनीकी कौशल विकास पर कार्यक्रम	12 से 13 अक्तूबर, 2023	
विदेशी मुद्रा परिचालन पर कार्यक्रम	18 से 20 अक्तूबर, 2023	
शेयर बाजार के उतार-चढ़ावों (Bourse Game) सहित एकीकृत खजाना प्रबंधन पर कार्यक्रम	30 अक्तूबर से 08 नवंबर, 2023	लीडरशिप सेंटर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स, मुंबई

संस्थान समाचार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स ने बैंकों में ''अंतर्द्वंद्व समाधान और दबाव प्रबंधन'' पर एक वेबिनार का आयोजन किया

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स ने 05-10-2023 को प्रौद्योगिकी पर आधारित विधि से एक वेबिनार का आयोजन किया। उक्त विचार-विमर्श के प्रतिष्ठित पैनेलिस्ट थे: श्री बाबूजी के॰ प्रधानाचार्य, रिज़र्व बैंक स्टाफ कालेज, चेन्नै, श्रीमती सुरंजना दत्ता, मुख्य महा प्रबन्धक एवं प्रमुख (रणनीतिक प्रशिक्षण एकक) भारतीय स्टेट बैंक, श्री संग्राम प्रधान, मानव संसाधन प्रमुख- सहायक सेवाएँ, येस बैंक लिमिटेड। उक्त वेबिनार की अच्छी-ख़ासी सराहना हुई तथा उसमे बैंकिंग एवं वित्त क्षेत्र के व्यावसायिकों ने भाग लिया।

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स - अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने संयुक्त रूप से जलवायु जोखिम एवं वहनीय वित्त पर एक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम की शुरूआत की

संस्थान ने जलवायु जोखिम एवं वहनीय वित्त पर एक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC) के साथ एक करार कर रखा है। उक्त पाठ्यक्रम की शुरूआत 23 मई, 2023 को सेंट रेगिस हाल, मुंबई में की गई। यह पाठ्यक्रम ई-शिक्षण (e-learning) के रूप में है जिसमें 4-6 घंटों के शिक्षण के उपरांत एक मूल्यांकन सत्र आयोजित किया जाता है। पाठ्यक्रम की सफल पूर्णाहुति पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा संयुक्त रूप से प्रमाणपत्र जारी किया जाता है।

जेएआईआईबी/डीबीएण्डएफ/एसओबी/सीएआईआईबी – संशोधित पाठ्यक्रम की शुरूआत

जेएआईआईबी/डीबीएण्डएफ/एसओबी/सीएआईआईबी पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्या उन्हें अधिक समसामयिक, सकल्पनात्मक बनाने तथा महत्तर मूल्य-वर्धन सुनिश्चित करने के लिए पुनरसंरचित एवं संशोधित कर दी गई है। इस संबंध में संस्थान के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने पाठ्यक्रम को संशोधित किए जाने की आवश्यकता पर सदस्यों को एक सदेश भी संबोधित किया है। संशोधित पाठ्यक्रमों के अधीन विषयों, परीक्षा के स्वरूप, उत्तीर्णन की समय-सीमा, उत्तीर्णन मानदंड आदि के बारे में एक विस्तृत सूचना वेबसाइट पर भी डाली गई है। उक्त संक्रमण को अभ्यर्थियों के लिए अधिक अनुकूल बनाने हेतु नयी पाठ्यचर्या में पुरानी पाठ्यचर्या से कुछेक विषयों के लिए श्रेय (credits) दिये जाने की अनुमति दी गई है। संशोधित पाठ्यचर्या के अधीन परीक्षाएँ मई/जून, 2023 और उसके बाद से आयोजित की जाएंगी। संस्थान द्वारा निषेधात्मक (negative) अंक दिये जाने से संबन्धित नियम को आस्थगित कर दिया गया है। अधिक विवरण के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.iibf.org.in देखें।

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स द्वारा अदावीकृत जमाराशियों और बैंकों के लिए रास्ता (भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निधिक सहायता प्राप्त) पर शोध प्रस्ताव आमंत्रित

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अदावी जमाराशियों पर एक शोध योजना आरंभ करने का दायित्व सौंपा गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स अदावी जमाराशियों का अध्ययन करने तथा कार्रवाई-योग्य सुझाव देने के लिए शोध प्रस्ताव आमंत्रित करता है। इसके लिए बैंकों के पूर्णकालिक नियमित कर्मचारी, महा विद्यालयों/विश्वविद्यालयों के संकाय सदस्य और अन्य शैक्षिक एवं वित्तीय संस्थाएं आवेदन कर सकते/सकती हैं। आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30-09-2023 है। अधिक विवरण के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.iibf.org.in. देखें।

संशोधित जेएआईआईबी और सीएआईआईबी परीक्षाओं के लिए छद्म जांच/परीक्षा सुविधा उपलब्ध

संस्थान जेएआईआईबी और सीएआईआईबी परीक्षाओं के संशोधित ढांचे के अधीन सभी विषयों के लिए प्रति विषय 100 रुपए (जोड़िए कर) की नाममात्र दर पर छद्म (MOCK) जांच/परीक्षा सुविधा उपलब्ध करा रहा है। इच्छुक अभ्यर्थी अधिक विवरण के लिए हमारी वेबसाइट www.iibf.org.in देख सकते हैं।

आगामी अंक के लिए बैंक क्वेस्ट की विषय-वस्तु

जुलाई - सितंबर, 2023 तिमाही के लिए बैंक क्वेस्ट के आगामी अंक हेतु विषय-वस्तु है: Climate Risk and Sustainable Finance.

परीक्षाओं के लिए दिशानिर्देशों /महत्वपूर्ण घटनाओं की निर्धारित तिथि

संस्थान में इस बात की जांच करने के उद्देश्य से कि अभ्यर्थी अपने–आपको वर्तमान घटनाओं से अवगत रखते हैं या नहीं प्रत्येक परीक्षा में कुछ प्रश्न हाल की घटनाओं, विनियामक/कों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के बारे में पूछे जाने की परंपरा है। हालांकि, घटनाओं/ दिशानिर्देशों में प्रश्नपत्र तैयार किए जाने की तिथि से और वास्तविक परीक्षा तिथि के बीच की अवधि में कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। इन मुद्दों का प्रभावी रीति से समाधान करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि

(i) संस्थान द्वारा मार्च, 2023 से अगस्त, 2023 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक/कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 31 दिसम्बर, 2022 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

(ii) संस्थान द्वारा सितंबर, 2023 से फरवरी, 2024 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक/कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 30 जून, 2023 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

नयी पहलकदमी

सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान के पास मौजूद उनके ई-मेल पते अद्यतन करा लें तथा वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के जरिये प्राप्त करने हेतु अपनी सहमति भेज दें।

बाजार की खबरें

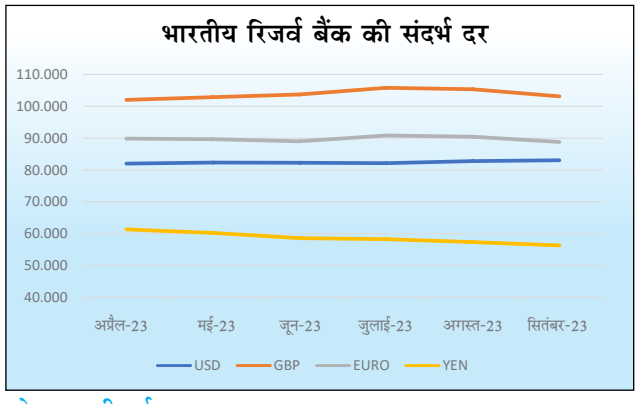

स्रोत: एफबीआईएल

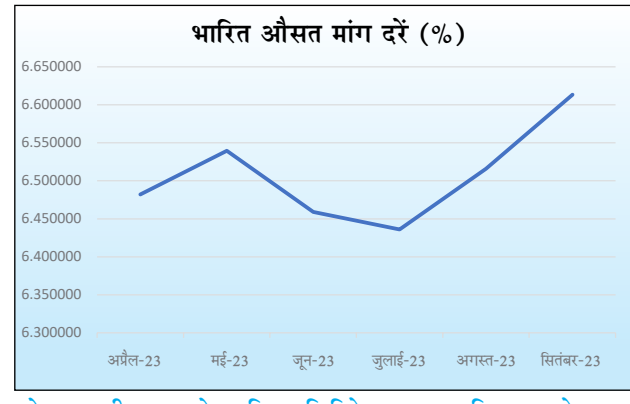

स्रोत: भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड का साप्ताहिक न्यूजलेटर

• Registered with Registrar of Newspapers Under RNI No. : 69228/1998

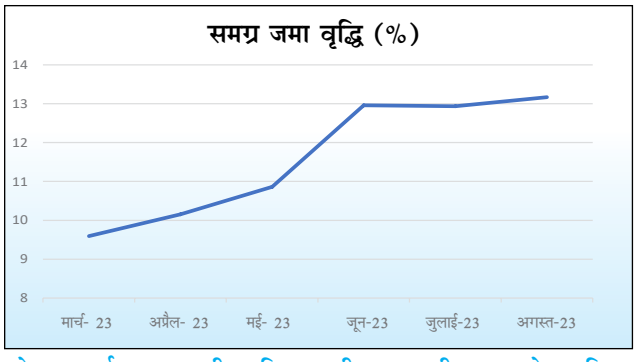

स्रोत : अर्थव्यवस्था की मासिक समीक्षा, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, सितम्बर, 2023

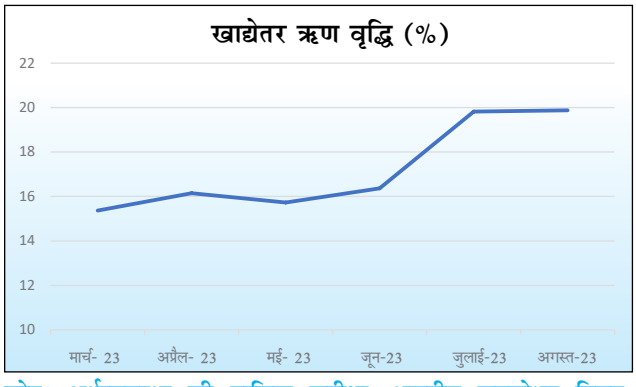

स्रोत: अर्थव्यवस्था की मासिक समीक्षा, भारतीय समशोधन निगम लिमिटेड, सितम्बर, 2023

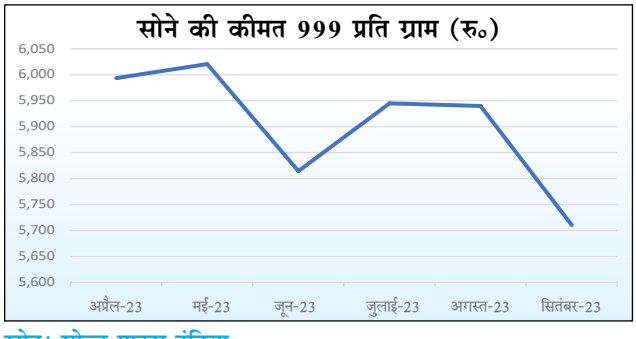

स्रोत: गोल्ड प्राइस इंडिया

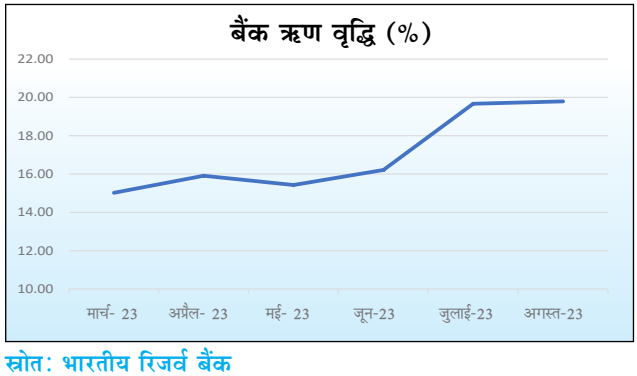

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

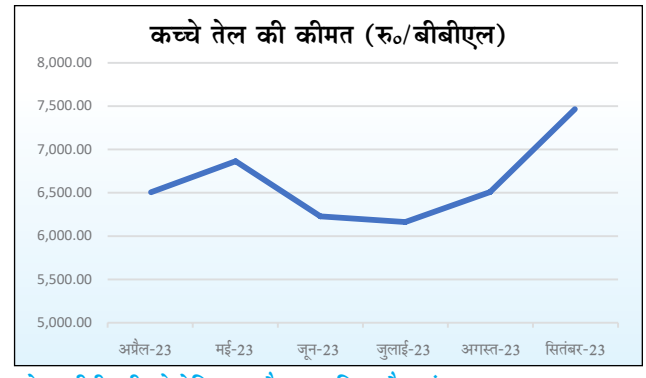

स्रोत: पीपीएसी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

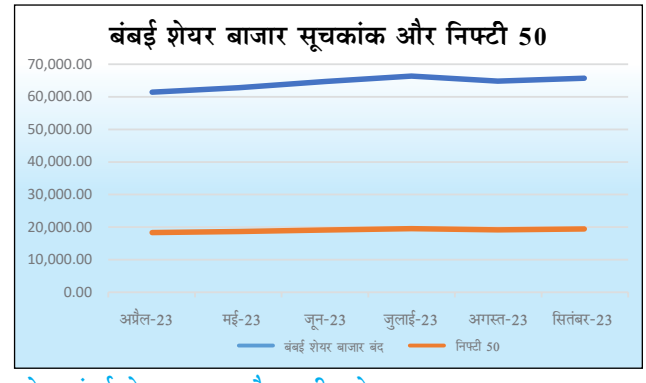

स्रोत: बंबई शेयर बाजार और राष्ट्रीय शेयर बाजार

Printed by Biswa Ketan Das, **Published by** Biswa Ketan Das, on behalf of Indian Institute of Banking & Finance, and **printed at** Onlooker Press 16, Sasoon Dock, Colaba, Mumbai - 400 005 and **published** at Indian Institute of Banking & Finance, Kohinoor City, Commercial-II, Tower-I, 2nd Floor, Kirol Road, Kurla (W), Mumbai - 400 070.
Editor : Biswa Ketan Das

INDIAN INSTITUTE OF BANKING & FINANCE
Kohinoor City, Commercial-II, Tower-I, 2nd Floor, Kirol Road, Kurla (W), Mumbai - 400 070.
Tel. : 91-22-6850 7000
E-mail : admin@iibf.org.in
Website : www.iibf.org.in